

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

TSP

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक:- 08/10/18

विषय:- राँची शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित संयंत्रों के सुदृढीकरण यथा रुक्का अवस्थित WTP, पहाड़ी मंदिर, बूटी जलागार फेज-II, मोराबादी, गोंदा हिल, रुक्का आदि पम्पिंग प्लांटों में पम्प सेटों का अधिष्ठापन एवं राँची शहरी जलापूर्ति योजना के वितरण एवं यांत्रिक प्रमण्डलों में एयर वाल्व, प्रेशर वाल्व, HT पॉवर केबल अधिष्ठापन आदि कार्य के लिये अधीक्षण/कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची स्तर से कुल 12 (बारह) योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची नगर निगम को रू० 14,12,40,661/- (चौदह करोड़ बारह लाख चालीस हजार छः सौ इकसठ रुपये मात्र) अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3737 दिनांक-07.09.2018 एवं विभिन्न पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल द्वारा राँची शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित जलापूर्ति संयंत्रों के सुदृढीकरण हेतु रू० 14,12,40,661/- (चौदह करोड़ बारह लाख चालीस हजार छः सौ इकसठ रुपये मात्र) की स्वीकृति हेतु निम्नवत् अधियाचना प्रेषित की गयी है :-

1.

योजना का नाम	अधियाचना प्रेषित करने वाला विभाग/प्रमण्डल	प्रयोजन	राशि (₹ में)
राँची शहरी जलापूर्ति योजना का सुदृढीकरण	पेयजल एवं स्वच्छता, स्वर्णरेखा मुख्य कार्य प्रमण्डल, राँची।	रुक्का स्थित पुराने एवं नये WTP पाईपलाईन के संयोजन एवं सुदृढीकरण	4,95,57,921
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची।	बूटी जलागार फेज-II हेतु दो पम्प सेट का क्रय एवं अधिष्ठापन	1,38,53,374
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।	पहाड़ी मंदिर पम्पिंग प्लांट हेतु पम्प सेट	24,10,557
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।	मोराबादी पम्पिंग प्लांट हेतु पम्प सेट एवं अन्य सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन	31,24,162
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।	गोंदा हिल प्लांट हेतु पम्प सेट का क्रय एवं अधिष्ठापन	14,53,087
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।	न्यु पिस्का मोड़ पम्पिंग प्लांट हेतु पम्प सेट का क्रय एवं अधिष्ठापन	28,48,543
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची।	रुक्का प्लांट (2018-19 हेतु) 175 HP VT Pump का अधिष्ठापन।	1,39,97,000

*Jay Singh*

राँची शहरी जलापूर्ति योजना का सुदृढीकरण	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।	गोण्डा हिल सब स्टेशन में 1250 KVA AVR	30,86,796
	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया परियोजना, राँची।	राँची शहरी जलापूर्ति योजना के विभिन्न अवयवों का जीर्णोद्धार, प्रतिस्थापन एवं सुदृढीकरण।	1,21,26,140
	पेयजल एवं स्वच्छता वितरण प्रमण्डल (SW), राँची।	राँची शहरी जलापूर्ति योजना के विभिन्न अवयवों यथा एयर, प्रेशर, वाल्व आदि का प्रतिस्थापन एवं संबंधित कार्य।	1,30,01,037
	पेयजल एवं स्वच्छता वितरण प्रमण्डल (SW), राँची।	द्वितीय फेज पम्प हाउस से रातू रोड पाईप लाईन का संयोजन से जुड़े कार्य।	2,42,00,105
	पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची।	रुकका प्लांट (2018-19 हेतु) पम्प सेट एवं पॉवर केबल का अधिष्ठापन।	15,81,939
<b>Total demand for Ranchi Water Supply Scheme</b>			<b>14,12,40,661₹</b>
<b>Rupees Fourteen Crore Twelve Lakh Forty Thousand Six Hundred Sixty-one Rupees Only</b>			

2. उपर्युक्त अधियाचना के आलोक में राँची शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित संयंत्रों के सुदृढीकरण एवं विभिन्न पम्पिंग प्लांटों में पम्प सेटों का अधिष्ठापन तथा राँची शहरी जलापूर्ति योजना के वितरण एवं यांत्रिक प्रमण्डलों में एयर वाल्व, प्रेशर वाल्व, HT पॉवर केबल अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु अंधीक्षण/कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची स्तर से कुल 12 (बारह) तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची नगर निगम को रु० 14,12,40,661/- (चौदह करोड़ बारह लाख चालीस हजार छः सौ इकसठ रुपये मात्र) अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-48 के अधीन मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-94-शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-48S221780796940679 शीर्ष से की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राँची नगर निगम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे द्वारा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि की निकासी राँची कोषागार से करते हुए कंडिका (1) में वर्णित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डलों को हस्तांतरित की जायेगी।

5. पेयजल एवं स्वच्छता में संबंधित प्रमण्डलों द्वारा उक्त राशि राँची शहरी जलापूर्ति योजना के सुदृढीकरण हेतु तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राँची नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का कार्यान्वयन कराते समय उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्चतम मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करेंगे। योजना के कार्यान्वयन/उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची एवं तकनीकी पदाधिकारी साथ ही अभिकर्ता भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष 2017-18 में राँची नगर निगम को उक्त मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। अतएव उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिवेदन शून्य है।

9. नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को यह निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधित धाराओं के अन्तर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरान्त ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का हस्तांतरण/व्यय करेंगे।

*Jay Kumar*

10. उपायुक्त, राँची एवं नगर आयुक्त, राँची नगर निगम द्वारा समय-समय पर योजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए योजना कार्यान्वयन की गुणवत्ता/प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर विभाग को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराते रहेंगे।

11. वित्त विभाग के पत्रांक-903/02.03.02 के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का डुप्लिकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। डुप्लिकेशन के लिए निकासी व्ययन पदाधिकारी, राँची नगर निगम एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।

12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।


13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

14. उपर्युक्त राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि०, दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

  
(अजय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/विविध/जला०/अधियाचना (2018-19)/39/2018/न०वि०आ०.....120 राँची, दि०-08/10/18

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, राँची नगर निगम/अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक, नागरिक प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्षकार्य प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता राँची स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, बूटी/कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/श्री कुणाल, CMM को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves reviewing existing literature and reports.

The third section focuses on the statistical analysis of the collected data. It describes the use of various statistical tests to determine the significance of the findings. The results indicate a strong correlation between the variables being studied, which supports the initial hypothesis.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and their implications. It suggests that the results have important implications for the field of study and provides recommendations for further research.

1/1/2024